

21/1/25

अधिवक्ता अपीलें एवं अधिवक्ता अपीलें
की बख्त ग्राह्यता के प्रश्न पर सुनी एवं
उस पर मनन किया एवं पत्रावली का अपलोड
किया।

पत्रावली के अपलोड से मुक्त होता
है अपीलें द्वारा उक्त अपीलें 10 पत्र
धारा 131 व 132 RLR Act के विरुद्ध प्रस्तुत
की गयी हैं। जिसके विरुद्ध प्रस्तुत
हस्तागत प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार से बाहर होने के
कारण खारिज किया जाता है। अधिवक्ता
अपीलें व अपीलें आदेश दिनांक 16/11/21
के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चाराओही
करके हेतु स्वतंत्र हैं। पत्रावली वाप फौजदारी
शुमार लेकर वापिस पत्र हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली